JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.
Corporate Identity Number (CIN) –U40109RJ2000SGC016483
Regd. Office : New Power House, Jodhpur- 342003
Phone No : 0291-2742343 : Fax No : 0291-2742228
E-mail: seppmju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपीएम. /एसएण्डआई/ फा./ प्रे० 17 दिनांक 6-4-17

परिपत्र

विषयः– चुरू वृत के अन्तर्गत अवैध रूप से शिफ्ट कियें गए कृषि कनेक्शनों के नियमतिकरण बाबत ।

जोधपुर डिस्कॉम के निदेशक मंडल द्वारा 236 वीं मीटिंग दिनांक 10.03.2017 में चुरू वृत के अन्तर्गत अवैध रूप से शिफ्ट कियें गए कृषि कनेक्शनों के नियमतिकरण बाबत, हो रहे राजस्व हानि की भरपाई एवं जन प्रतिनिधियो की मांग एवं विशिष्ठ परिस्थितियों के मददेनजर लगभग 450 अवैध रूप से शिफ्ट कियें गए कृषि कनेक्शनों के नियमतिकरण हेतु 2 साल की समय सीमा में शिथिलता बरतने एवं इस बाबत नियमितिकरण हेतु विस्तृत चर्चा उपरांत लिए गए निर्णय एवं निर्देशानुसार उक्त कनेक्शनों को निम्न शर्तो अनुसार नियमित कर दिया जावें।

1. जिन कृषि कनेक्शनों को चुरू वृत के विभिन्न उपखण्डो मे अवैध रूप से शिफ्ट पाया गया है,उन कृषि कनेक्शन धारकों को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित करते हुए दो माह के भीतर नियमतिकरण हेतु औपचारिक आवेदन पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया जाए।
2. पाए गए अवैध रूप से शिफ्ट कृषि कनेक्शनों के नियमतिकरण हेतु ट्रांसफार्मर–सब–स्टेशन चार्जेज तथा लाईन चार्जेज सहित अन्य बूंद–बूंद/फव्वारा श्रेणी की दर से मांगपत्र राशि (जोधपुर डिस्कॉम के आर.ई.ओ. 178 के अनुसार) वसूली जावें तथा इन कनेक्शनों को बूंद–बूंद फव्वारा श्रेणी का मानते हुए समय–समय पर उक्त श्रेणी हेतु प्रभावी प्रचलित टैरिफ दर, मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से अगले दो वर्षो तक विद्युत विपत्र के द्वारा वसूल की जावें। दो वर्ष पश्चात् इन्हे स्वतः ही कृषि सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिये जावें।
3. मांग पत्र की राशि स्वीकार करने से पूर्व एवं नियमतिकरण के दो वर्ष पश्चात् पुनः सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करते समय यह सुनिश्चित किया जाये की इस संबंध में कोई भी बकाया नहीं है।
4. नियमतिकरण करने से पूर्व, सबंधित सहायक अभियंता द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि पूर्व स्थान पर वर्तमान मे उपरोक्त नाम से कोई कृषि कनेक्शन भौतिक रूप से विधमान नही है।
5. नियमतिकरण करने से पूर्व मूल कनेक्शन धारक/वैधानिक उतराधिकारी से शपथ पत्र पर अन्डरटेकिग लिया जाए कि उक्त हुए कनेक्शन बाबत भविष्य में उनके द्वारा कोई भी दावा प्रस्तुत नही किया जायेगा एवं दावा प्रस्तुत करने की स्थिति में मान्य नही होगा।

निदेशक मंडल के द्वारा 236 वीं मीटिंग दिनांक 10.03.2017 में लिए गए निर्णय व दिये गये निर्देशो के MOM की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इसमें वर्णित निर्देशो की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करावें तथा अन्य नियमानुसार सभी आवश्यक औपचारिकताऐ पूर्ण की जावें।

आज्ञा से

6/4/17

(ज्ञानेश्वर प्रसाद)
अधीक्षण अभियंता (पीपीएण्डएम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

लगातार ----(2)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत/प्रेषित है :

1. श्रीमान अध्यक्ष, डिस्कॉमस, जयपुर।
2. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियंता (बीकानेर जोन) जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी एण्ड आर/आई ए एण्ड ए/डब्लयू एण्ड एम), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
9. अधीक्षण अभियंता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, चुरू।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/ उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
11. निजी सचिव, मा.ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।

6/4/17

अधीक्षण अभियंता (पीपीएण्डएम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर